पत्रांक– म॰भो॰/को॰–ES 143/2017......2226

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक:

विनोद कुमार सिंह,
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20.11.2017

विषय : मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव/वितरण हेतु प्रखंड स्तर पर संवेदक चयन के लिए नवीन दिशा निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक चयन/अवधि विस्तार से संबंधित विभिन्न जिलों से शिकायत प्राप्त होती रहती है। दिनांक 11.05.2017 को आयोजित मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के समीक्षात्मक बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब संवेदक का चयन दो वर्ष तक के लिए ही किया जाय एवं दो वर्ष पूर्ण होने के पहले नये सिरे से संवेदक का चयन किया जाए, ताकि अवधि विस्तार की कार्रवाई नहीं करना पड़े। ऐसी परिस्थिति में राज्य के सभी जिलों में संवेदक चयन से संबंधित नवीन दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। पत्र निर्गत तिथि से पूर्व में निर्गत संवेदक चयन एवं अवधि विस्तार से संबंधित सभी आदेशों को विलोपित समझा जाय।

प्रखण्डों के लिए खाद्यान्न का उठाव/वितरण एवं हथालन हेतु संवेदक चयन के लिए जिला स्तर पर एक कमिटि होगी जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा :–

1.	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
3.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,मध्याह्न भोजन योजना	–	सदस्य सचिव
4.	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति)	–	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला समन्वयक मध्याह्न भोजन योजना	–	सदस्य

संवेदक के चयन हेतु हिन्दी के सभी समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की जाएगी तथा निम्न शर्तो के आधार पर संवेदकों का चयन किया जाएगा।

1. निविदादाताओं को 15 पंचायत तक के प्रखंड हेतु 5 टैक्ट्रर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखड के लिए 8 टैक्ट्रर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/ वितरण हेतु उपलब्ध कराएगें। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के

नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे।

2. निविदादाताओं को 50000.00 (पचास हजार रू) अग्रिम सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा, (जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से देय होगा) जो संवदेक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में जमा रहेगा।

3. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000.00 (पचास हजार रू) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस करना होगा।

4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000.00 (पचास हजार रू) जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

5. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अंदर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।

6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस०एफ०सी० (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।

7. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।

8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखंड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखंड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखंड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

9. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोज़न योजना एवं उक्त प्रखण्ड के प्रखंड साधन सेवी का मोबाईल नं० जिला कार्यालय का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।

10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा, कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/ सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नहीं है। उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।

11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात की सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair average Quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।

13. वाहन एकरारनामा से संबंधित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात –यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेंस, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय द्वारा वाहन के कागजातों की जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी , कार्यालय से कराना होगा कि ये सभी वाहन व्यवसायिक कार्य उपयोग में लिये है।

14. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 तीन कलर फोटो/ID proof/ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।

15. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

16. सामान अहर्ता होने की स्थिति में वैसे निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास अपना ट्रैक्टर/पिकअप/छोटी वाहन एवं अन्य व्यवसायिक वाहन ज्यादा हो। इसके बाद भी सभी अर्हताएँ समान होने पर निविदादाताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

17. संवेदक के चयन मुक्त होने, त्यागपत्र देने या अन्य कारणों से हटाये जाने पर (जैसे प्राथमिकी दर्ज हो जाने पर) उस प्रखंड में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य नये संवेदक के चयन होने तक प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। वाहन की व्यवस्था प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। जिस वाहन से खाद्यान्न की ढुलाई करेंगे उस वाहन से संबंधित सूचना (वाहन मालिक का नाम, पता एवं वाहन का प्रकार) जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेंगे।

18. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा।

19. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिये प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखण्ड साधन सेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, ईंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। SIO के आधार पर प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक दोनो अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिये खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखंड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड साधन सेवी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखंड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को अगले माह की 10 वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधार पर संतुष्ट होने के उपरान्त संवेदक को परिहवन–सह–हथालन मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15 वीं तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

20. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एकबार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिए ही किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने का कारण सहित चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। चयन समिति का अंतिम निर्णय मान्य होगा।

21. एक चयनित संवेदक से दो वर्ष तक ही कार्य लिया जाएगा तथा दो वर्ष के बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा। दो वर्ष समाप्त होने के पहले (31 मार्च तक) नये संवेदक का चयन कर 1 अप्रैल से नये संवेदक के साथ एकरारनामा कर लेना अनिवार्य होगा। किसी विशेष परिस्थिति में नये संवेदक के चुनाव निर्धारित समय सीमा तक नहीं हो पाता है, तो उस प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी मात्र दो ही माह वैकल्पिक तौर पर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। यदि उक्त समयावधि के अन्दर चयन नहीं किया जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना की होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए नये सिरे से निविदा का प्रकाशन किया जायेगा।

22. जिन जिला के लिए निविदा प्रकाशित किया जायेगा, निविदादाता उसी जिला का मूल निवासी होगा।

23. संवेदक का चयन जिस प्रखण्ड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखण्ड के लिए ही मान्य होगा।

वर्णित शर्तों के अनुसार संवेदक के चयन में निम्नलिखित कलेन्डर का अनुपालन किया जाएगा -

- विज्ञापन प्रकाशित करना — 01 फरवरी से 5 फरवरी के बीच।
- संवेदक चयन कमिटि की बैठक — 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच।
- सफल संवेदक की सूची पर जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु संचिका उपस्थापित करना — 1 मार्च से 5 मार्च के बीच।
- जिलाधिकारी द्वारा सूची को अनुमोदित करना — 5 मार्च से 10 मार्च के बीच।
- सफल संवेदकों की सूची प्रकाशित करना — 10 मार्च से 15 मार्च के बीच।
- सफल संवेदकों से अनुबंध करना — 15 मार्च से 25 मार्च के बीच एवं एक अप्रैल से कार्य प्रारंभ करना।

24. संवेदक चयन होने के उपरान्त ही निदेशालय को चयनित संवेदकों की सूची मोबाईल नं॰ के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

25. किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दिशा निर्देश में किसी भी प्रकार का संशोधन/मार्गदर्शन देने का अधिकार सिर्फ सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, समिति–सह–निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना का होगा एवं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, समिति का ही निर्णय/मार्गदर्शन अंतिम होगा।

26. वर्त्तमान में कार्यरत जिन संवेदकों का कार्यकाल 31 मार्च 2018 तक दो वर्ष पूर्ण हो जायेगा। (चयन के बाद एक वित्तीय वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया जा चुका हो) वैसे प्रखण्ड के लिए नवीन दिशा निर्देश के आलोक में संवेदक चयन कि प्रकिया अपनाई जायेगी। नवीन दिशा निर्देश के निर्गत तिथि के बाद यदि किसी प्रखण्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए संवेदक चयन हेतु निविदा प्रकाशित करना हो तो वैसे प्रखण्ड के लिए नवीन दिशा निर्देश के आलोक में ही निविदा का प्रकाशन करते हुए संवेदक का चयन किया जायेगा। जिन संवेदकों का कार्यकाल 31 मार्च 2018 तक एक वर्ष ही हुआ हो वैसे संवेदक का यदि कार्यकलाप संतोषजनक हो तो एक वित्तीय वर्ष (2018–19) और कार्य लिया जायेगा।

संवेदक चयन समिति द्वारा चयनित निविदादाता के अनुमोदित पैनल पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपर्युक्त वर्णित शर्तों के अनुसार चयनित निविदादाता से संवेदक के रूप में दो वर्ष तक कार्य लिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

20/11/17

(विनोद कुमार सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक 2226 दिनांक 20.11.2017

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/11/17

(विनोद कुमार सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार,पटना।

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, ... ।
संवेदन चयन हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा प्रत्र।

हाल ही का खीचा हुआ एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

1. आवेदित प्रखंड का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम :– ....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम :– ....
4. उम्र (जन्म तिथि) :– ....
5. दूरभाष/मोबाईल संख्या :– ....
6. ईमेल पता (अनिवार्य) :– ....
7. स्थायी पता :– ....

   ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना –....................................

   प्रखण्ड – .... जिला – .... राज्य– ....

   पिन कोड– ....

8. पत्राचार का पता :–..

   ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना –....................................

   प्रखण्ड – .... जिला – .... राज्य– ....

   पिन कोड– ....

9. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ/नहीं) :– .... ।

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट की राशि

10. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ/नहीं) :– .... ।

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पता	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	तीन माह के अंदर का है या नहीं

11. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ/नहीं) :– .... ।

12. तीन माह के अंदर का दो रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न (हाँ/नहीं) :– .... ।
    (एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्य अनुभव (हाँ / नहीं) :– .... ।

पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना मे कार्य किया गया है।	कब से कब तक कार्य किया गया है, तिथि	कार्य संतोषजनक / असंतोषजन	इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पदनाम	संबंधित प्रमाण पत्र
				पृ०सं० ....

13. कुल एकरारनामा वाले वाहनो की संख्या :–

निजी वाहन		अन्य वाहन		कुल वाहन	

क्र० सं०	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	संबंधित वाहन के कागजात / अभिलेख
1.							पृ.सं. .... से .... तक
2.							पृ.सं. .... से .... तक
3.							पृ.सं. .... से .... तक
4.							पृ.सं. .... से .... तक
5.							पृ.सं. .... से .... तक
6.							पृ.सं. .... से .... तक
7.							पृ.सं. .... से .... तक
8.							पृ.सं. .... से .... तक

14. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।

15. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।

16. परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हाँ / नहीं) :– .... ।
(यदि हाँ तो, किनके नाम से .... एवं आपसे संबंध ....)

17. किसी भी प्रकार का आपराधिक / न्यायिक मामला है (हाँ / नहीं) :– .... ।

18. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, ... के साथ सभी अनुमान्य शर्तो के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हाँ / नहीं) :– .... ।

19. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :–
(क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (उपर से नीचे तक) :– .... ।
(ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (नीचे से उपर तक) :– .... ।

"मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात / अभिलेख गलत पाई जाती है तो विभाग मेरा चयन रदद् करते हुए मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा"।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आवेदक का नाम / हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता